8·6 कर्त्तव्य और दायित्व (Duty and Obligation)

कर्त्तव्य और दायित्व सापेक्ष हैं। कर्त्तव्य अर्थात् वैसा कर्म जो करना चाहिए, मनुष्य के नैतिक जीवन का तत्त्व है। मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसी का ज्ञान ही नैतिक ज्ञान का सार है। कर्त्तव्य मनुष्य के विवेक और वासनाओं के द्वन्द्व का संकेत करता है। यदि यह द्वन्द्व नहीं होता और जैसा चाहिए वैसा ही कर्म मनुष्य करता तो फिर कर्त्तव्य की आवश्यकता ही नहीं होती। विवेक और वासना में द्वन्द्व होने के कारण ही ये दोनों, व्यक्ति को अपनी ओर खींचते हैं। इनमें वह, जो नैतिक नियम के अनुसार हैं, उचित है और ऐसे ही कर्मों की बाध्यता व्यक्ति महसूस करता है। यही उसका कर्त्तव्य है। दूसरे शब्दों में, वैसे कर्म जिनकी संगति नैतिक आदर्श से हो, वे उसके कर्त्तव्य हैं और वह उन्हें करने के लिए बाध्य होता है। अतः जो उचित है, वही कर्त्तव्य है। यह नैतिक बाध्यता क्यों और कैसे है, इसके सम्बन्ध में विविध मत हैं। कर्त्तव्य एक प्रकार का नैतिक ऋण है, जो मनुष्य को चुकाना चाहिए।

कुछ विचारकों का मत है कि कर्त्तव्य का दायित्व बाह्य है, अर्थात् किसी बाह्य शक्ति के भय से ही कर्मों की प्रेरणा मिलती है। पर यह मत अमान्य है। कर्त्तव्य के साथ ही दायित्व लगा रहता है। जब हम जान जाते हैं कि यही कर्त्तव्य है तो 'ऐसा ही करना चाहिए' की भावना तो उसी में छिपी हुई है। इसी भावना को दायित्व कहा जाता है।

कभी-कभी विशेष कर्त्तव्यों में विरोध जान पड़ता है। सत्य बोलना और किसी की जान बचाना दोनों ही कर्त्तव्य हैं। पर ऐसी परिस्थिति भी आ जाती है जब दोनों में द्वन्द्व हो जाता है। एक निर्दोष महिला आपके यहाँ शरण लेती है। कुछ बदमाश आपसे उसके विषय में पूछते हैं। अतः यहाँ उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों में विरोध मालूम पड़ता है। इसे ही कुछ लोगों ने कर्त्तव्यों का विरोध (conflict of duties) कहा है। पर कर्त्तव्य का विरोध अवास्तविक (unreal) है। किसी विशेष परिस्थिति में मनुष्य का एक ही कर्त्तव्य होता है। हमें विरोध इसलिए मालूम होता है कि उस परिस्थिति को समझने में हम असफल रहते हैं। हमें जो करना चाहिए वह रास्ता तो एक ही होगा, भले ही उसके निर्णय में हमें कठिनाई हो। कभी-कभी कर्त्तव्य का बहुत ही संकीर्ण अर्थ लिया जाता है। जो बाह्य सत्ता-निर्मित नियमों के द्वारा लागू किया जाय उसे ही कर्त्तव्य विचारा जाता है। यदि कोई ऐसा कर्म किया जाय, जो नियमों से परे हो (विरुद्ध नहीं) तो यह विचारा जाता है कि कर्त्तव्य से अधिक किया गया। यदि किसी नौकर ने तय किये हुए समय से एक घंटा अधिक काम कर दिया तो उसने कर्त्तव्य से अधिक किया। पर नैतिक दृष्टि से यह मत मान्य नहीं है। यह ठीक है कि एक घंटा जो अधिक काम किया गया, उसके लिए कोई वैधानिक बाध्यता नहीं है। पर वैधानिक बाध्यता और नैतिक बाध्यता में अन्तर है। जो वैधानिक दृष्टि